4017(E)
23/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–23/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत मोहिउद्दीनगर (बलुआही)–पतसिया पथ के 8वें कि०मी० में H.L. RCC Bridge (1x24.0m) का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1076(अनु०) दिनांक 26.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत मोहिउद्दीनगर (बलुआही)–पतसिया पथ के 8वें कि०मी० में H.L. RCC Bridge (1x24.0m) का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18
2.2	एकरारनामा संख्या	:	02/SBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹2,88,71,789.00
2.4	संवेदक का नाम		M/s Jai Mata Dee Construction, Patna.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	04.07.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	03.01.2019
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	80% कार्य पूर्ण।
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	30.06.2019

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) **Utility Shifting (Electric Poles) के कारण कार्य बाधित :–** संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्य स्थल पर विद्युत पोल स्थित होने के कारण कार्य में बिलंब हुआ।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल समस्तीपुर के पत्रांक–128, दिनांक 01.02.2018 द्वारा मोहिउद्दीनगर (बलुआही)–पतसिया पथ के 8वें कि०मी० में पथ क्रष्ट पर स्थित बिजली पोल शिफ्ट करने हेतु पत्राचार किया गया था।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 22 दिनों के अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा भी की गई है।

23.5.19

(ii) **बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब** :– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि खनन एवं भू–तत्व विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2286M, दिनांक 23.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बालू बंदोवस्तधारियों को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से बालू का उन्खन्न पूर्णतः प्रतिबंधित है।" संवेदक द्वारा इस मद 122 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 133 दिनों अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

(iii) **वर्ष 2017 में वर्षा एवं जल जमाव के कारण विलंब** :– संवेदक द्वारा सूचित किया गया वर्षात अवधि में एकरारनामा दिनांक 04.07.2017 को सम्पन्न किया गया। कार्य स्थल पर पर बाढ़ का पानी जमा रहने के कारण कार्य 01.09.2017 के बाद ही शुरू किया जा सका।

उक्त के कारण करीब 57 दिनों का बिलंब हुआ जिसका अनुरोध संवेदक द्वारा किया गया है, परन्तु Overlapping Period होने के कारण सिर्फ शून्य दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iv) **वर्ष 2018 में बाढ़ के कारण डायवर्सन टुटने के कारण विलंब** :– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2018 में कार्यस्थल पर बाढ़ के कारण डायवर्सन टुट गया। उक्त डायवर्सन के बारे में दैनिक प्रतिवेदन दिनांक 15.09.2018 में भी कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। दिनांक 14.04.2018 को डायवर्सन पुनः बनाने के बाद कार्य प्रारंभ किया जा सका। संवेदक द्वारा उक्त के आलोक में 42 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा 35 दिनों की अनुशंसा की गई है।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 178 दिनों अर्थात् दिनांक 30.06.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

23.5.19 23.5.19

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1076(अनु०) दिनांक 26.03.19 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत मोहिउद्दीनगर (बलुआही)–पतसिया पथ के 8वें कि०मी० में **H.L. RCC Bridge (1x24.0m)** का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 हेतु दिनांक 30.06.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

23/05/19	23.5.19	23/5/19	23.5.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त– सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध(स०वि०)–06–83 / 2019– 4017(E) पटना, दिनांक– 23/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।